न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-533RAAJodhpur2022-258RTA225 Choutharam ors Vs Kanaram etc

01. चौथाराम पुत्र पीथाराम
02. जेठाराम पुत्र पीथाराम
    जातियान् राईका, निवासीगण– झरिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. कानाराम पुत्र देवाराम
02. घेवरराम पुत्र देवाराम
03. दुर्गाराम पुत्र देवाराम
    जातियान् राईका, निवासीगण– झरिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
04. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2021 चौथाराम व अन्य बनाम कानाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2021 अनवान चौथाराम व अन्य बनाम कानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 सिंतबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 164 रकबा 2.6709 हैक्टेयर ग्राम झरिया के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2021 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर कोई आदेश पारित नहीं कर पत्रावली को प्रत्यर्थीगण के जवाब जो नियत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने के बावजूद भी अंतरिम निषेधाज्ञा पर आदेश पारित नहीं किया तथा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया गया। इस कारण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा प्रत्यर्थीगण के पिता का नाम गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में आ जाने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि जमाबंदी में प्रत्यर्थीगण के पिता देवला को काश्तकार अव्वल के रूप में दर्ज किया गया है, जिस कारण उसका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है, उनकी ढाणियॉ इत्यादि बनी हुई है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष मे है। उपपंजीयक द्वारा भी बैचाननामा में धारा 39 पंजीयन अधिनियम के तहत नोट लगाकर रजिस्ट्री की गई है तथा जिसमें स्वामित्व को विवादित बताया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि का बैचान किये जाने के कारण खरीददार जबरदस्ती संपूर्ण भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है तथा अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे अपने इस उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता के निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लंबित है। प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 14.09.2022 को वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान कर दिया गया है तथा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिला कलक्टर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद सूनवाई नहीं होने पर अपीलार्थीगण द्वारा अदालत हाजा के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से कोई देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2073–2076 ग्राम झरिया तहसील औसियां के खाता संख्या 19 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 18 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 164 रकबा 2.6709 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में प्रत्यर्थीगण के नाम से काश्तकार अव्वल लाबूराम अमानाराम पिता नाहराराम, चौथाराम, जेठाराम पिता पीथाराम जाति राईका के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में रेस्पोडेंट्स द्वारा दखलंदाजी की जाती है अथवा वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2021 अनवान चौथाराम व अन्य बनाम कानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2021 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 164 रकबा 2.6709 हैक्टेयर ग्राम झरिया के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर